Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

LiFE Lifestyle for Environment

RPCB / RO Sikar / SKR-PH- 19/   Date:

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सुचना

विषय:- मैसर्स श्री कृष्णा मिनरल्स एंड स्टोन, एम एल नंबर 14/2023, क्षेत्रफल 1.5438 हेक्टेयर मेसनरी स्टोन खनन परियोजना जो कि सामूहिक मेसनरी स्टोन कलस्टर परियोजना में स्थित है जिसमे मैसर्स श्री कृष्णा मिनरल्स एंड स्टोन, एम एल नंबर 14/2023, क्षेत्रफल 1.5438 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,30,000 टन प्रति वर्ष(रोम), मैसर्स श्री सिद्धि विनायक माइंस, एम एल नंबर 548/2011, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,30,410 टन प्रति वर्ष, मैसर्स श्री सिद्धि विनायक माइंस, एम एल नंबर 549/2011, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,32,510 टन प्रति वर्ष, मैसर्स राम बिल्ड देव प्राइवेट लिमिटेड, एम एल नंबर 573/2011, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,04,210 टन प्रति वर्ष, मैसर्स राम बिल्ड देव प्राइवेट लिमिटेड, एम एल नंबर 574/2011, क्षेत्रफल 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 90,947 टन प्रति वर्ष एवं मैसर्स श्री शिव शक्ति ट्रेडिंग कंपनी, एम एल नंबर 12/2022, क्षेत्रफल 1.0948 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,80,000 टन प्रति वर्ष सम्मलित है जिनका कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 06.6386 हैक्टेयर एवं सामूहिक क्लस्टर उत्पादन क्षमता 8,68,077 टन प्रति वर्ष है, जो निकट ग्राम टोडा, तहसील एवं जिला नीमकाथाना में स्थित है कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री कृष्णा मिनरल्स एंड स्टोन, एम एल नंबर 14/2023, क्षेत्रफल 1.5438 हेक्टेयर प्रस्तावित मेसनरी स्टोन खनन परियोजना निकट ग्राम टोडा, तहसील एवं जिला नीमकाथाना द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृत बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अभिप्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया है।
2. और चूंकि उक्त खनन परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 के अनुसार जनसुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि मैसर्स श्री कृष्णा मिनरल्स एंड स्टोन ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति की जनसुनवाई के लिये आवेदन किया है।
4. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14-09-2006 के अनुसार जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना ज़ारी कर 30 दिवस का नोटिस दियाजाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है: –
   i. जिला कलेक्टर, नीमकाथाना।
   ii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डलमुख्यालय, 4,संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   iii. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,ए–218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
   iv. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
   v. कार्यालय ग्राम पंचायत भवन, टोडा तहसील एवं जिला नीमकाथाना।
   vi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, शिवसिंहपुरा हाउसिंग बोर्ड, नवलगढ़ रोड़, सीकर।

अत:सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जनसुनवाई हेतु दिनांक 22.01.2025 को दोपहर 12:30 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत भवन, टोडा, तहसील एवं जिला नीमकाथाना में आयोजित की जायेगी जिसमे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, शिवसिंहपुरा हाउसिंग बोर्ड, नवलगढ़ रोड़, सीकर में दिये जा सकते है।

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीयअधिकारी